मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 31, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:07 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,3,4,5,6,7,8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 189 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 203 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न संख्या 4 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व मंत्री श्री कैलाश चावला, श्री ध्यानेन्द्र सिंह एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया गया. आसंदी द्वारा भी स्वागत उल्लेख किया गया.

4. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 13 सूचनाएं नियम 267-क(2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है. यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढी हुई मानी जायेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. अब मैं सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा :-

(1) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिवनी में ऑनलाईन प्रतियोगी परीक्षा केन्द्र प्रारंभ कराया जाना।

(2) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में नहरों का समुचित (रिहैबिलिटेशन) रिमॉडलिंग नहीं हो पाना।

(3) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने शिवपुरी जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा में लापरवाही तथा दोषियों पर कार्यवाही न की जाना।

(4) श्रीमती रीति पाठक, सदस्य ने जिला चिकित्सालय सीधी में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराया जाना।

(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने सरदारपुर विधान सभा आदिवासी क्षेत्र में विभिन्न हाई स्कूलों एवं माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किया जाना।

(6) श्री नरेन्द्र प्रजापति इंजीनियर, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र मनगवां अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटहा मुख्यमार्ग पर पुलिया का निर्माण कराया जाना।

(7) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र अमरपाटन जिला-मैहर में रामनगर से गंजास पहुंच मार्ग की अत्यंत जर्जर स्थिति होना।

(8) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य ने छतरपुर जिले के बिजावर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सटई में महाविद्यालय की स्थापना की जाना।

(9) श्री प्रीतम लोधी, सदस्य ने जनपद पंचायत खनियाधाना की ग्राम पंचायत तेरही में निर्माण कार्यों की राशि आहरित होने के बाबजूद कार्य अपूर्ण रहने संबंधी।

(10) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी बड़वानी द्वारा स्थानीय विधायक के पत्राचारों का जबाब नहीं दिया जाना।

(11) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, सदस्य ने जैन संतों की सुरक्षा के संबंध में।

(12) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को, सदस्य ने जिला अनूपनुर के पुष्पराजगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जाना।

(13) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य ने केंट विधान सभा के विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में स्कूलों, धार्मिक स्थलों के आस-पास पनप रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने बावत्।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** द्वारा

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2024-2025 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-1 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन),

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली तथा कामकाजी महिला वसतिगृह एवं बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्ता पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल),

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-3 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल),

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल), एवं

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-5 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल), तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 95 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखे गए.

(2) **श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखा गया.

(3) **श्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम नियम, 1974 की कंडिका 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(4) **श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री** द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक:- 1016/मप्रविनिआ/2026 भोपाल, दिनांक 18 जून, 2026 पटल पर रखा गया.

(5) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** द्वारा खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार –

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान, डिण्डौरी, म.प्र. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024,

(ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला हरदा, बालाघाट, सिंगरौली, कटनी एवं उज्जैन के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं

(ग) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला रायसेन, सीहोर, नीमच एवं बालाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखे गए.

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(7) **श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखा गया.

(8) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा)** द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखा गया.

(9) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा)** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

6. स्थगन प्रस्ताव संबंधी अध्यक्षीय व्यवस्था

दिल्ली स्थित जंतर-मंतर में आंदोलनकारी छात्रों पर किये गये लाठी चार्ज संबंधी स्थगन प्रस्ताव राज्य शासन के प्रशासनिक दायित्वों से संबंधित नहीं होने के कारण अग्राह्य किया जाना.

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि कल सदन के अंदर जो घटना घटी. हमारे वरिष्ठ विधायक श्री शेखावत जी ने जो कहा कि दिल्ली में किस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ है. उसमें मध्यप्रदेश के भी हजारों छात्र थे. मध्यप्रदेश की भी दो छात्राओं की नीट परीक्षा में मौत हो गई है. दिल्ली के अंदर श्री राहुल गांधी जी धरने पर बैठे थे. कल रात को मोदी जी ने भी कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे. हमारे दल के कई सदस्यों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है. मैं समझता हूं प्रदेश के हजारों-लाखों छात्र हैं. चाहे नीट हो या स्थानीय परीक्षाओं को लेकर. आप युवा वर्ष मना रहे है. तो मैं चाहता हूं इस स्थगन पर चर्चा हो जाए.

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी कि स्थगन के बारे में जो बातचीत आ रही थी उसमें मैंने पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को सुना है. श्री भैरोसिंह बापू, श्री सचिन सुभाष चन्द्र यादव, श्री दिनेश जैन बोस, श्री ऋषि अग्रवाल, डॉ रामकिशोर दोगने एवं श्री सुरेश राजे, सदस्य की दिल्ली स्थित जंतर-मंतर में आंदोलनकारी छात्रों पर किये गये लाठी चार्ज के संबंध में प्राप्त स्थगन सूचनाओं का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि यह सूचनायें 9 बजे के बाद अर्थात 10.25 बजे प्राप्त हुई हैं. तथा राज्य शासन के प्रशासनिक कार्यों एवं उसके उत्तरदायित्व से भी संबंधित नहीं हैं. स्थगन, ध्यानाकर्षण सूचनायें प्राप्त करने के संबंध में अध्यक्ष के स्थायी आदेश 22 (3) में एवं पत्रक भाग दो क्रमांक 38 दिनाक 16 जून 2026 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्वाह्न 9.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाओं को अगले दिन प्राप्त की हुई माना जायेगा. इसके अतिरिक्त स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये आवश्यक है कि उसका विषय राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों अथवा उसके उत्तरदायित्व से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो.

सभापति व्यवस्थाओं में एवं पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी की पुस्तक प्रश्नकाल से शून्यकाल तक के पृष्ठ क्रमांक 234 में स्पष्ट लिखा है कि विषय शासन के कार्य-कलापों से संबंधित होना चाहिये . स्थगन प्रस्ताव का विषय वही हो सकता है जो राज्य शासन के प्रशासनिक दायित्वों से संबंधित हो. सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद विधानसभा की नियमावली प्रक्रिया के तहत मैं इस स्थगन प्रस्ताव को उठाने की अनुमति नहीं देता.

7. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की द्वारा सहमति से घोषणा की गई कि - आज की कार्यसूची में 9 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 2 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित मंत्री द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे, उसके बाद अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जाएगा. लिखित वक्तव्य की एक एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जाएगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा. पहले क्रमांक 1 से 2 तक की सूचनाएं ली जाएंगी.

8. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 12.20 बजे स्थगित की जाकर अपराह्न 12.28 बजे पुन: समवेत हुईं.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

9. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री गिरीश गौतम, सदस्य** ने रीवा जिले की ग्राम पंचायत महमूदपुर विकासखण्ड गंगेव में हुये वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही न किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्रीमती राधा रविन्द्र सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्री बाला बच्चन, सदस्य** ने राजपुर विधान सभा क्षेत्र में भूमि का अवैधानिक अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया.

10. अध्यक्षीय घोषणा

ध्यानाकर्षण की शेष सूचनाएं एवं उनके वक्तव्य पढे हुए माने जाने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि,‘‘ मैं कार्य सूची के पद 3 के उप पद (3) से (9) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं पढी हुई तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उन पर वक्तव्य पढे माने जायेंगे.’’

11. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(3) **श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य** ने सागर संभागीय मुख्यालय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लड बैंक व आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का वक्तव्य.

(4) **श्री लखन घनघोरिया, सदस्य** ने कटनी जिले में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना न किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का वक्तव्य.

(5) **श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य** ने प्रदेश की देवास-भोपाल-लेबड-जावरा और जावरा-नयागांव टोल पर लागत से अधिक वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(6) **श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य** ने मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा रतलाम जिले के स्वर्ण सागर कॉलोनी में कराये गये विद्युतीकरण कार्यों का भुगतान रोके जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(7) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य** ने रीवा जिले की टमस नदी में बसामनमामा के पास चैकडेम का कार्य प्रारंभ न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(8) **श्री अरूण भीमावद, सदस्य** ने शाजापुर नगर में बस स्टैंड भवन में वैध किरायेदार/दुकानदारों को दुकान आवंटित न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(9) **श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य** ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला गुना में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितता के दोषियों पर कार्रवाई न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

12. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने आंसदी से अनुरोध किया कि मुझे सबके लिए एक बात कहनी है कि अभी तक हम जो भी ध्यानाकर्षण लगाते थे, उनके उत्तर आ जाते थे, वर्ष 2019 से यह व्यवस्था थी, भले ही वे चर्चा में न आएं, लेकिन आगे-पीछे हमारे उत्तर आ जाते थे, तो हमारी बहुत सी समस्याएं उससे हल हो जाती थीं. चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, सभी का उत्तर आ जाने से बहुत सारी समस्याएं शॉर्ट आऊट हो जाती थीं और अधिकारियों में एक मेसेज जाता था. इस संबंध में श्री गोपाल भार्गव जी ने भी लगाया था, तब कांग्रेस की सरकार थी और 23 जुलाई, 2019 से यह ऑर्डर प्रभावी था. इसके बाद ये परंपरा अभी-अभी बंद कर दी गई है. अब हमारे उत्तर आना बंद हो गए हैं, इससे हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई है. अतः आपसे यह अनुरोध है कि कृपया उसको यथावत रहने दें.

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि प्रक्रिया कोई बंद नहीं की गई है. जो प्रक्रिया नियमों में थी, उसको स्थापित किया गया है, जो बीच में शिथिल हो गई थी.

13. मौखिक उल्लेख

बालाघाट जिले के परसवाड़ा में असामाजिक तत्वों द्वारा राजा भोज की प्रतिमा को खण्डित किए जाने संबंधी

श्री मधु भगत, सदस्य ने आंसदी का ध्यान आकर्षित किया कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा में विगत दिवस पंवार समाज के आराध्य महान प्रतापी राजा भोज की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित करके उसे चार टुकड़ों में तोड़ दिया गया है. समस्त जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर पंवार समाज की जनता में आक्रोश व्याप्त है. कानून की व्यवस्था कमजोर होने के कारण आज दिनांक तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. प्रतिमा खण्डित करने वाले दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर दण्डात्मक कार्रवाई किए जाए.

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति** ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का कार्यान्वयन से संबंधित सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री अरूण भीमावद , सभापति** ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पंचदश विधान सभा के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों संबंधी षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) **श्रीमती ललिता यादव, सभापति** ने महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति का कार्यान्वयन से संबंधित चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)

(2) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)

(3) **श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-**बालाघाट)

(4) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-**सिवनी)

(5) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)

(6) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)

(7) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-**अनूपपुर)

(8) **श्री आशीष गोविंद शर्मा (जिला-**देवास)

(9) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-**धार)

(10) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-**नरसिंहपुर)

(11) **श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-**झाबुआ)

(12) **श्री भैरो सिंह बापू (जिला-**आगर मालवा)

(13) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिंदवाड़ा)

(14) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)

15) **श्री अरूण भीमावद (जिला-**शाजापुर)

(16) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)

(17) **श्री मधु भगत (जिला-**बालाघाट)

(18) **श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-**पन्ना)

(19) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)

(20) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)

(21) **श्री प्रदीप पटेल (जिला-**मऊगंज)

(22) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)

(23) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)

(24) श्री सुनील उईके (जिला-छिंदवाडा)

(25) श्री मोंटू सोलंकी (जिला-बड़वानी)

(26) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)

(27) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)

(28) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)

(29) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)

(30) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)

(31) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)

(32) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)

(33) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)

(34) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)

(35) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)

(36) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)

(37) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)

(38) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)

(39) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)

(40) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)

(41) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)

(42) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)

(43) श्री विश्वामित्र पाठक (जिला-सीधी)

(44) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)

(45) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)

(46) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)

(47) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)

(48) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

(49) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)

(50) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-खरगोन)

(51) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)

(52) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-खण्डवा)

(53) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)

(54) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)

(55) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत (जिला-छतरपुर)

(56) श्री कालु सिंह ठाकुर (जिला-धार)

(57) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)

(58) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)

(59) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)

(60) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल)

(61) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)

(62) श्रीमती प्रियंका पैंची (जिला-गुना)

(63) **श्री बाबू जन्डेल (जिला-**श्योपुर)

(64) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-**हरदा)

(65) **श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-**मुरैना)

(66) **डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-**मैहर)

16. शासकीय वक्तव्य

श्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने दिनांक 30 जुलाई, 2025 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 1300) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री जितेन्द्र उदयसिंह पण्ड्या

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

2. श्री अनिरूद्ध माधव मारू

तदुपरांत श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री महेश परमार

18. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने विषयक

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि,'' आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी-अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.''

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

2. डॉ. चिन्तामणि मालवीय
3. श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
4. श्री दिव्यराज सिंह
5. डॉ. हिरालाल अलावा
6. श्री प्रताप ग्रेवाल
7. श्री उमाकांत शर्मा
8. श्री कैलाश कुशवाह
9. श्री माधव सिंह मधु गेहलोत

तदुपरांत श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

20. स्वागत उल्लेख

आसंदी द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में श्री रामकृष्ण कुसमरिया पूर्व मंत्री मध्यप्रदेश शासन की उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया.

21. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री अभय मिश्रा
2. श्री महेन्द्र नागेश
3. श्री नारायण सिंह पट्टा
4. श्री दिव्यराज सिंह
5. श्री विजय रेवनाथ चौरे

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

6. श्री राजन मण्डलोई
7. श्री दिनेश गुर्जर

तदुपरांत श्रीमती राधा रविन्द्र सिंह राज्यमंत्री एवं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्रीमती राधा रविन्द्र सिंह राज्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री लखन घनघोरिया
2. श्री अरूण भीमावद

23. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा दर्शक दीर्घा में आगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यार्थियों का विधान सभा की कार्यवाही देखने हेतु उपस्थित होने पर उनका स्वागत उल्लेख किया गया.

24. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

3. श्री दिनेश जैन बोस
4. श्री साहब सिंह गुर्जर
5. श्री नरेन्द्र प्रजापति

तदुपरांत श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 15 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

25. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय, मैं, अभी आपसे कक्ष में मिला और बहुत ही विनम्रता से एक निवेदन करना चाहता हूं आज मेरी अनुपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने आंदोलनकारियों को कीड़ा कहा. मैंने आपको विधान सभा की कार्यवाही दिखाई. ऑडियो-वीडियो दोनों दिखाये. मैंने ये जरूर कहा कि क्या आप कॉकरोज पार्टी के समर्थक हैं ? इसके अलावा एक भी ऐसा शब्द नहीं था, जो कि किसी भी आंदोलनकारी के खिलाफ हो, परंतु माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से कहा और सदन में भी कहा, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने अभी देखा कि मैंने कीड़ा कहा. ये बहुत ही गलत है. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें. मैं यह नहीं कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष माफी मांगें, यह उनके विवेक के ऊपर है कि वे क्या करते हैं ? परंतु मैं आपका निर्णय चाहता हूं कि क्या इस प्रकार सदन में कहना उचित है ?

नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने कहा कि कॉकरोज आप कहो प्रदेश के युवाओं को, अराजकता आप करो और आप कहो कि ये अराजक हैं और माफी हम मांगें. वाह !

श्री प्रहलाद सिंह पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्यवाही की चर्चा है. सदन की कार्यवाही में बिना प्रमाण के आप नहीं कह सकते हैं यदि आप गलत कहते हैं तब तो मुझे लगता है कि यह अपराध ही है. जब यह चर्चा हो रही है कि आपने सदन के भीतर क्या कहा है. बाहर जाकर मीडिया को क्या कहा है उसके लिए हम दावा नहीं कर सकते हैं. लेकिन यदि आपने सदन में कहा है तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, या आपको स्वीकार करना पड़ेगा, या तो आसंदी को फैसला करना पड़ेगा. नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी हो.

इस पर श्री उमंग सिंघार ने कहा कि मैं जवाबदारी से कह रहा हूँ यह आपके पोस्टर हैं. मैं सदन में जवाबदारी से कह रहा हूँ. असत्य नहीं बोलता हूँ. जवाबदारी से कह रहा हूँ. पूरे वीडियो वायरल हुए हैं.

श्री राजेन्द्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि इतने सीनियर मेंबर होकर आप विषय को डायवर्ट कर रहे हैं. विषय यह था कि जब अभी माननीय कैलाश जी ने स्वयं प्रस्तुत होकर उसको बोला तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दूसरा पम्पलेट निकालकर विषय को डायवर्ट करने की कोशिश की. उनको टू द पॉइंट जवाब देना चाहिए था कि अध्यक्ष महोदय के सामने वह भी वीडियो प्रस्तुत कर दें और जो वीडियो कैलाश जी का आपके सामने प्रस्तुत हुआ वह भी आप देख लें और उसके बाद फिर आप आसंदी निर्देश दें, व्यवस्था दे दें.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि हम सब इस बात को जानते हैं कि सदन की परम्पराएं क्या हैं, नियम क्या हैं, लेकिन फिर भी कई बार निश्चित रूप से वरिष्ठ सदस्यों से चूक होती है जो एकदम स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. सदन की जो कार्यवाही है उस मामले में हम सबको गंभीर रहना चाहिये क्योंकि यह रिकार्ड भविष्य के लिये रहता है और भविष्य में उदाहरण बनता है. हमारी आने वाली पीढियां इसका अनुसरण करेंगी इसलिये हम सबको अपनी बात रखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखन चाहिये.

जहां तक प्रोसीडिंग में कुछ शब्द का उल्लेख यहां पर किया.नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कैलाश जी के लिये, उसकी तकलीफ कैलाश जी को हुई, कैलाश जी की ओर से हुआ उसकी तकलीफ प्रतिपक्ष के लोगों को हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर के जब हम व्यक्ति के लिये बोल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिये. क्योंकि व्यक्ति के लिये बोलते तो वह बात बहुत दूर तक जाती है. तो सामान्य तौर पर जो शब्द यहां उल्लेख किया गया कैलाश जी ने छात्रों को कीड़ा कहा, मैंने भी प्रोसीडिंग को देखा है क्योंकि कैलाश जी बहुत दुखी थे, वह मेरे पास भी आये फिर मैंने प्रोसीडिंग बुलाकर के देखी और वह इसलिये दुखी थे कि कुल मिलाकर के मैं इंदौर महानगर में रहता हूं. और इतनी बड़ी मात्रा में वहां छात्र रहते हैं उन पर क्या असर जायेगा, मेरी प्रतिष्ठा को वह कैसे लेंगे और मेरे खिलाफ आंदोलन खड़ा हो जाये, एक व्यक्ति के जरा से असत्य बोलने के कारण जो मैंने नहीं कहा है। निश्चित रूप से उनके मन की तकलीफ थी इसलिये मैंने इस सारी चीज को दिखवाया और फिर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिये. सदन में अगर हम कोई कागज लेकर के आते हैं, बिना अनुमति के उसे हम लहराते हैं वह भी उपयुक्त नहीं है, हम इस बात को भी जानते हैं कि हम लहरा भी रहे और उसके बाद भी वह कार्यवाही से विलोपित हो जायेगा फिर भी हम लहरा ही देते हैं. तो इन सब बातों का हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिये.

हमारे पूर्वज मध्यप्रदेश विधानसभा की बहुत उज्जवल परम्परायें बनाकर के हमको विरासत में देकर के गये हैं और हम सब लोगों की कोशिश यह होना चाहिये कि इस विरासत को न सिर्फ अक्षुण्ण रखें इसको और मजबूत बनायें, इसको और लोकतांत्रिक बनाये, इसको और अविस्मरणीय बनायें, इस दिशा में हमारा कदम होना चाहिये और मैं इस मामले में आप सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आगे से इस प्रकार की कोई बात आयेगी तो वह सदन को स्वीकार्य नहीं होगी.

26. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(5) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री अभय मिश्रा
2. श्री ओमप्रकाश सखलेचा

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

तदुपरांत श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) **श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री अनिरूद्ध मारू

27. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि एवं स्वल्पाहार विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था है. अपनी सुविधा से ग्रहण कर सकते है.

28. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

तदुपरांत श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

29. वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि

"दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51 एवं 55 **के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल** मिलाकर सात हजार चार सौ पचपन करोड़, छिहत्तर लाख, पचपन हजार, चौवन रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री बाला बच्चन
2. श्री गौरव सिंह पारधी
3. श्री लखन घनघोरिया
4. श्री अनिरूद्ध माधव मारू
5. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
6. श्री नारायण सिंह पट्टा
7. श्री यादवेन्द्र सिंह
8. श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया
9. श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
10. श्री नीरज सिंह ठाकुर
11. श्री सुरेश राजे
12. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
13. श्री राजन मण्डलोई
14. श्री उमाकांत शर्मा
15. श्रीमती सेना महेश पटेल
16. श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

17. श्री माधव सिंह मधु गेहलोत
18. श्री उमंग सिंघार

30. विशेषाधिकार भंग की सूचना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि उनके द्वारा नियम 164 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. यदि आप अनुमति दे तो मैं पढकर सुना दूं अन्यथा मैं इसको टेबल करता हूं. इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझे पढने दीजिये, मेरे पास आ जायेगी.

31. वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) एवं डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

32. शासकीय वित्त विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

33. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाना : प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह प्रस्ताव किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

34. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किए गए –

मध्यप्रदेश विधान सभा की सोलहवीं विधान सभा का एकादश सत्र अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है. इस सत्र में कुल तीन बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें विधायी, वित्तीय तथा लोकमहत्त्व से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए तथा इस दौरान 23 घंटे तक सदन चला. मैं इस अवसर पर समस्त सदन को इस सत्र के सफल एवं गरिमापूर्ण संचालन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ.

हमारा संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है, जहाँ विधानमंडल जनता की सर्वोच्च लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है. विधान सभा केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि यह जनभावनाओं की अभिव्यक्ति, शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा लोकहित के प्रश्नों पर गंभीर विमर्श का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है. इस दृष्टि से प्रत्येक सत्र लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है.

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, शून्यकाल तथा अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से जनता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया. प्रश्नकाल के माध्यम से शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावी स्वरूप मिला तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी हुई. यह संसदीय प्रणाली की सबसे प्रभावी व्यवस्थाओं में से एक है, जिसके माध्यम से शासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनती है.

ध्यानाकर्षण सूचनाओं तथा अन्य संसदीय माध्यमों के द्वारा माननीय सदस्यों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं, जनअपेक्षाओं तथा विकास की आवश्यकताओं को गंभीरता से उठाया. स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पेयजल, सड़क, नगरीय विकास, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल कल्याण तथा अन्य अनेक विषयों पर हुई चर्चाओं ने यह स्पष्ट किया कि सदन जनहित के प्रत्येक विषय के प्रति समान रूप से संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है.

सदन ने वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों को स्वीकृति प्रदान की. यह प्रक्रिया केवल वित्तीय स्वीकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन की योजनाओं, विकास कार्यक्रमों तथा जनकल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का संवैधानिक आधार भी है. लोकतंत्र में वित्तीय नियंत्रण का अधिकार विधानमंडल की महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है और इस सत्र में उसका प्रभावी निर्वहन किया गया.

इस सत्र के दौरान कुल 1756 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 900 तारांकित तथा 856 अतारांकित प्रश्न सम्मिलित थे. इसके अतिरिक्त 522 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ, 29 स्थगन, 171 शून्यकाल सूचनाएँ तथा 210 याचिकाएँ प्राप्त हुईं. सदन द्वारा 15 शासकीय विधेयक पारित किए गए, 21 अशासकीय संकल्पों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों के

66 प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए. ये आँकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि सदन ने अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन किया.

इस सत्र में नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल हेतु खाद/बीज नहीं मिलने एवं अवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लगभग चार घंटे तक विस्तृत चर्चा की हुई. यह चर्चा लोकतंत्र की उस भावना को सुदृढ़ करती है जिसमें जनता से जुड़े तात्कालिक विषयों पर बिना विलंब विचार किया जाता है और शासन को समयबद्ध ढंग से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलता है.

इस सत्र में शासन की ओर से समान नागरिक संहिता विधेयक, कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता तथा धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए. इन विधेयकों पर व्यापक, गंभीर एवं रचनात्मक चर्चा हुई. पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों ने अपने-अपने विचार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप प्रस्तुत किए तथा आवश्यक विचार-विमर्श के उपरांत सदन ने अपना निर्णय दिया. यही संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है.

लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि संवाद, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व तथा परस्पर सम्मान की संस्कृति का भी नाम है. सत्ता पक्ष शासन चलाता है, तो प्रतिपक्ष शासन की रचनात्मक समीक्षा करता है. दोनों की भूमिका लोकतंत्र में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है. स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहाँ मतभेदों का सम्मान हो, तथ्यों के आधार पर चर्चा हो और जनहित सर्वोपरि रहे.

मुझे प्रसन्नता है कि इस सत्र में अनेक विषयों पर गंभीर एवं सार गर्भित चर्चाएं हुई, किन्तु सदन की गरिमा, संसदीय परंपराओं तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का समुचित पालन किया गया. मतभेद अवश्य रहे, किन्तु मनभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. यही हमारी संसदीय परिपक्वता तथा लोकतांत्रिक संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है.

संसदीय संस्थाओं की प्रतिष्ठा केवल नियमों से नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के आचरण, अनुशासन, संयम तथा संवाद की गुणवत्ता से निर्मित होती है. सदन के प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व है कि वे जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें.

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि विधान सभा की विभिन्न समितियाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं. समितियों के माध्यम से शासन के कार्यों का गहन परीक्षण होता है तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है. इस सत्र में समितियों के 66 प्रतिवेदनों का सदन के पटल पर रखा जाना समिति प्रणाली की सक्रियता का परिचायक है.

मैं सदन की कार्यवाही के सफल संचालन में सहयोग देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सभी माननीय मंत्रीगण, सभापति तालिका के सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों, विधान सभा के प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों, शासन के अधिकारियों, सुरक्षा व्यवस्था में लगे समस्त कर्मियों तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ.

मैं विशेष रूप से शासन के उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिश्रम की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस सत्र के प्रत्येक कार्य को समयबद्ध, व्यवस्थित एवं सफल बनाने में निष्ठापूर्वक अपना योगदान दिया. उनके समर्पण एवं दक्षता के कारण ही सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संपन्न हो सकी.

अंत में, मैं अपनी ओर से तथा समस्त सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस, मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा गणेश चतुर्थी के पावन अवसरों पर हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ.

स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्रनिर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा भारतीय संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और कर्तव्यों का स्मरण कराता है. वहीं, मिलाद-उन-नबी हमें करुणा, शांति, भाईचारे और मानवता के आदर्शों का संदेश देता है. रक्षाबंधन का पावन पर्व पारिवारिक स्नेह, विश्वास एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हमें धर्म, कर्तव्य, न्याय और लोककल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जबकि गणेश चतुर्थी बुद्धि, विवेक, शुभारंभ तथा विघ्नों के निवारण का संदेश देती है.

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश निरंतर विकास, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव के पथ पर अग्रसर रहे तथा सभी नागरिक सुख, शांति और खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करें.

इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी अगले सत्र में पुनः इसी उत्साह, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा जनसेवा के दृढ़ संकल्प के साथ समवेत होकर लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने उद्गार व्यक्त किये.

35. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

36. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 9:25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 22 जुलाई, 2026